न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

105

R-3714-I/12

राकेश कुमार पाण्डेय तनय् श्री रामावतार पाण्डेय उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम हिनौता तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0————————निगरा कार

बनाम

1. रामखेलावन तिवारी तनय् श्री रामकन्हाई तिवारी आयु 75 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम हिनौता तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0
2. म0प्र0 शासन ————————————————————गैरनिगराकार

30/10/12

निगरानी विरूद्ध सीमाकंन तहसीलदार राजस्व निरीक्षक बिरसिंहपुर के रा0प्र0क्रं0 99अ12/10–11 सीमाकंन प्रतिवेदन एवं फील्ड बुक दिनांक 24.3.2012 ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मा0का0 ।

30/10/2012

मान्यवर,

निगरा कार उपरोक्त उनमान की निगरानी अधोलिखित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर विनयी है।

1. यह कि गैर निगरा कार क्रं0 1 ग्राम हिनैता की आराजी नं0 97 का सीमांकन कराने हेतु आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।
2. यह कि पटवारी हल्का हरदुआ एवं राजस्व निरीक्षक बिरसिहपुर द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु दिनांक 23.8.11 को सभी सरहददी कास्तकारों को दिनांक 27.8.11 को सीमांकन में उपारिथति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।
3. यह कि पटवारी हल्का हरदुआ के उक्त सूचना के आधार पर निगराकार एवं गैर निगरा कार एवं अन्य सरहददी कास्तकार दिनांक 27.8.11 को सूचना पत्र

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3714-एक/12 **जिला** - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक बिरसिंहपुर के प्रकरण क्र. 99/अ-12/10-11 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	